तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी हु
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया। वकील प्रार्थी ने बहस मे कथन किया गया प्रार्थना पत्र के चरण संख्या-2 में वर्णित खाता नम्बर 436 मे वर्णित आराजी नम्बर 1936 मे से 4 बीघा भूमि दिनांक 16.1.2000 को प्रार्थी द्वारा क्रय की गई है तब से प्रार्थी का कब्जा निरन्तर रूप से चला आ रहा है। तथा वादग्रस्त आराजी बाबत हक अधिकार मूल वाद मे तय होगे तब तक के लिए विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश पारित किया जावे। इस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी इसलिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। अतः मौजा चिकारडा के खसरा नम्बर 1936 मे से 4 बीघा भूमि जो कि वादग्रस्त है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक आराजी वाद को हस्तान्तरण नहीं करें प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे दखलअन्दाजी नहीं करें राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नम्बर से खारिज हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डूंगला	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2024.12.19 16:44:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप
श्री जीतमल पिता
चिकारडा तह0डुंगल
1. श्री भैरूलाल
चिकारडा
2. श्री शांतिला
चिकारडा
3. श्री नारायण
चिकारडा
4. श्री उपपं
तह0डुंगला
प्रा
होदय जी,
प्रार्थी
1. यह वि
बनाते
किया
सम्भाव
2. यह
देवराम
है।जि
भी सं
ग्राम

Scanned with OKEN Scanner